



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237429
CG-DL-E-22072022-237429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3125]
No. 3125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3286(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5503, तारीख 31.12.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 31.12.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-543 के कि.मी. 105+800 से 199+200 कि.मी. तक (डिंडोरी से मंडला मार्ग) (तहसील घुघरी-संसोधित) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "फ्री प्रेस" में दिन बुधवार 13 अप्रैल 2021 और "नई दुनिया" में दिन बुधवार 13 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में राजमार्ग संख्या NH-543 के कि.मी. 105+800 से 199+200 कि.मी. तक (डिंडोरी से मंडला मार्ग) (तहसील घुघरी-संसोधित) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश					जिले का नाम: मंडला
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: घुघरी				
	गांव का नाम: बगली				
1	37/1	निजी	सिंचित	0.2	सरस्वती बाई बेवा रामकुमार सतीश कुमार, सुरेश कुमार, आरती, माधुरी पिता रामकुमार, शिवम पिता संजय कुमार, संतोष पिता श्यामकुमार सुदामा बेवा ललन प्रसाद, देवेन्द्र, बच्चू, संजय, अजय पिता ललन प्रसाद विमला, सीमा, नीलिमा पिता ललन प्रसाद ज्ञाना बाई बेवा श्याम कुमार जाति मेहरा पता सा मण्डला भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.30 (३७/१)
2	39	सरकारी	स्टेडियम	0.6	मध्य प्रदेश शासन (३९)
	गांव का नाम: खैरी माल				
3	107/1	निजी	असिंचित	0.002	केशव परमार पिता अनंतराम जाति मेहरा (१०७/१)
4	107/2	निजी	असिंचित	0.145	धनीराम पिता कालूराम जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (१०७/२)
5	107/3	निजी	असिंचित	0.003	पंकज परमार पिता अनंतराम जाति मेहरा (१०७/३)

6	107/4	निजी	असिंचित	0.003	कृष्ण कुमार परमार पिता अनंतराम जाति मेहरा भूमि स्वामी (१०७/४)
7	566/122	निजी	असिंचित	0.018	धन्नू पिता जोधराम जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (५६६/१२२)
गांव का नाम: सालीवाड़ा					
8	243/6	निजी	असिंचित	0.338	पंचम पिता नंदू जाति गोंड भूमि स्वामी (२४३/६)
			कुल	1.309	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/40/2018-19/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3286(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5503 dated **31.12.2021** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-543** on the stretch of land from Km. **105+800** to **199+200** Km. in (**Dindori to Mandla-Road**) (**Tehsil-Ghughari-Corrigendam**) in the district of **Mandla**, in the state of **MADHYA PRADESH**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Free Press**” **13 April 2022 Wednesday**; And “**Nai Duniya**” **13 April 2022 Wednesday**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 105+800 to 199+200 km. **(Dindori to Mandla Road) (Tehsil-Ghughari-Corrigendam)** Of the **NH-543** in the district of **Mandla**, in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: MANDLA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ghughari				
	Village: Bagli				
1	37/1	Private	irrigated	0.2	Saraswati Bai Bewa Ramkumar Sateesh Kumar, Suresh Kumar, Aarti, Madhuri Father Ramkumar, Shivam S/o Sanjay Kumar, Santosh S/o Shyamkumar Sudama Bewa Lalan Prasad, Devendra, Bachchu, Sanjay, Ajay S/o Lalan Prasad Vimala, Seema, Neelima D/o Lalan Prasad Gyana Bai Bewa Shyam Kumar Caste Mehra Address Sa Mandla Land Owner Land Revenue 3.30 37/1
2	39	Government	Stedium	0.6	Madhya Pradesh Government 39
	Village: Khairi Mal.				
3	107/1	Private	Non-Irrigated	0.002	keshav Parmar S/o Anantram Caste Mehra 107/1
4	107/2	Private	Non-Irrigated	0.145	Dhaniram S/o Kaluram Caste Mehra Address Resident Village Land Owner 107/2
5	107/3	Private	Non-Irrigated	0.003	Pankaj Parmar S/o Anantram Caste Mehra 107/3
6	107/4	Private	Non-Irrigated	0.003	Krishna Kumar Parmar S/o Anantram Caste Mehra Land Owner 107/4
7	566/122	Private	Non-Irrigated	0.018	Dhannu S/o Jodhram Caste Gond Address Resident Village Land Owner 566/122
	Village: Saliwada				
8	243/6	Private	Non-Irrigated	0.338	Pancham S/o Nandu caste Gond land owner 243/6
			TOTAL	1.309	

[F. No. CE-RO BPL/30010/40/2018-19/3D2]

RAJESH GUPTA, Director